Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0 को0 –312/2018....2254

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, बांका एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 09-08-2021

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित 2012 एवं 2017), बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित 2019) तथा तकनीकी मार्गदर्शिका, 2019 के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–828 दिनांक–30.05.2019 एवं पत्रांक–10888 दिनांक–22.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में स्मारित करते हुए कहना है कि उक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा जिला स्तर पर पूर्व में किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यो की जॉच तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में किए जाने का निदेश दिया गया था। निदेशालय स्तर से विभिन्न जिलों एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन एवं फीडबैक के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय जिलों के कुछ शिविर के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा ग्राम सीमा का सत्यापन एवं निर्धारण कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के अनुसार निर्धारित ग्राम सीमा के अनुसार किया जा रहा है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। इस संबंध में स्पष्ट है कि वर्त्तमान विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत विगत कैडस्ट्रल सर्वे के मानचित्र को केवल संदर्भ के लिए प्रयुक्त किया जाना है न कि उसके अनुसार ग्राम सीमा निर्धारित की जानी है (तकनीकी मार्गदर्शिका के अध्याय 5 अंतर्गत ''किस्तवार में ग्राम सीमा सत्यापन की प्रक्रिया'' द्रष्टव्य) यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 (यथा संशोधित, 2012 एवं 2017), बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2019) तथा तकनीकी मार्गदर्शिका, 2019 में दिए गए प्रावधान एवं निदेश के आलोक में की जानी है। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–725 दिनांक–20.04.2018 का अवलोकन किया जा सकता है, जिसके अनुसार ग्राम सीमा सत्यापन की कार्रवाई वर्त्तमान में सरजमीनी हकीकत के अनुरूप ही मानचित्र की मौजा सीमा का निर्धारण किया जाए।

अतः पूर्व में दिशा निर्देशों से संबंधित निर्गत पत्रों (विशेषतः 2019 के पूर्व के पत्र) द्वारा दिए गए निदेशो को तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में संशोधित मानते हुए अधिनियम नियमावली एवं तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाए। वर्त्तमान में कुछ जिलों के ग्रामों में किस्तवार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं प्रपत्र–6 के निर्माण पश्चात प्रपत्र–7 का वितरण प्रारंभ किया गया है ऐसे ग्रामों के मानचित्र के प्रारूप प्रकाशन के पूर्व आवश्यक है कि इनमें दर्शायी गई ग्राम सीमा

की जॉच भलीभांति कर ली जाए। यदि किसी ग्राम के ग्राम सीमा कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के अनुसार ही निर्धारित पाई जाती है तो संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन/कानूनगो एवं शिविर प्रभारी से कारण पृच्छा कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018...2254 पटना, दिनांकः–...09-08-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित जिलों सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018...2254 पटना, दिनांकः–...09-08-2021

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप/एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018...2254 पटना, दिनांकः–...09-08-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018...2254 पटना, दिनांकः–...09-08-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप